बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07- लेवी चीनी-01/2010 2949 /खाद्य,पटना/दिनांक- 02.5.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से लेवी चीनी के उठाव हेतु पे-इन-स्लीप के माध्यम से राशि जमा कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य को आवंटित लेवी चीनी का उपावंटन सभी जिलों को किया जाता है । लेवी चीनी के उठाव हेतु जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से आवंटित मात्रा के अनुरूप बैंक ड्राफ्ट जमा कराने का निदेश विभाग द्वारा उपावंटन आदेश निर्गत करने के क्रम में दिया जाता रहा है । ड्राफ्ट बनाने में जहाँ जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अतिरिक्त खर्च का वहन करना पड़ता है वहीं बिचौलियों द्वारा भी बैंक ड्राफ्ट जमा कराने की संभावना बनी रहती है । जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आर्थिक रूप से संभाव्य (Viable) बनाने एवं बिचौलियों को समाप्त करने हेतु सरकार कटिबद्ध है ।

अतः खाद्यान्नों की हीं तरह लेवी चीनी के उठाव हेतु जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से आवंटन के अनुरूप आवश्यक राशि भी बैंकों में पे-इन-स्लीप के माध्यम से जमा कराया जाय और इसकी पुष्टि भी की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह० 29/04/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-लेवी चीनी-01/2010 2949 /खाद्य,पटना/दिनांक- 02.5.2011

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, सोन भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 29/04/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-लेवी चीनी-01/2010 2949 /खाद्य,पटना/दिनांक- 02.5.2011

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० 29/04/2011

प्रधान सचिव ।

D:\Year 2011\Sec-7\Levy Sugar.doc